[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त-मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 48/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून, 2018

सा.का.नि (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.** - (1) इन विनियमों को एक्सपोर्ट बाई पोस्ट रेग्युलेशन्स, 2018 कहा जायेगा:
(2) ये विनियम दिनांक 21 जून 2018 से लागू होंगे:

2. प्रयोज्यता– ये विनियम वस्तुओं के ऐसे निर्यात पर लागू होंगे जो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किया गया वैध आयात-निर्यात कोड हो और यह निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप-धारा (ङ) के अंतर्गत अधिसूचित किसी विदेशी डाकघर से तथा अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जा रहा हो;

3.परिभाषायें– (1) इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो-

क) "अधिनियम" का अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962का 52) से है;

ख) "ई-कामर्स" से अभिप्राय किसी ऐसे ई-कामर्स प्लेटफार्म से इन्टरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद या बिक्री से है जिसके लिये भुगतान इन्टरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से अथवा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाता हो";

ग) "फार्म" से अभिप्राय इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये गए फार्म से है।

(2) ऐसे शब्द जो कि इन विनियमों में प्रयोग तो किए गये हैं लेकिन यहाँ उनको परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो इनके लिये उक्त अधिनियम में दिया गया हो।

4. निर्यात माल के संबंध में की जाने वाली प्रविष्टि – किसी विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में क्लियरेंस वाले विदेशी डाकघर के यथोचित अधिकारी के यहाँ तथा इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये गए फार्म में प्रविष्टि को भरना आवश्यक होगा।

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

[फ़ा.सं. 476/02/2016-एल सी]

फार्म -I

(देखें विनियम 4)

पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट – I (पी बी ई - I)

(ई-कामर्स के माध्यम से माल के किये जाने वाले निर्यात के लिये)

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

बिल ऑफ एक्सपोर्ट की संख्या और तारीख .	विदेशी डाकघर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई ई सी	राज्य का कोड	जी एस टी आई एन या जो भी लागू हो	ए डी कोड (यदि लागू हो)	कस्टम्स ब्रोकर का ब्यौरा	
								लाइसेन्स संख्या	नाम और पता

	घोषणा	हाँ/ ना, जो भी लागू हो
1	हम घोषणा करते हैं कि हम मर्केण्डाइज़ एक्स्पोर्ट्स फ्राम इंडिया स्कीम (MEIS) के अंतर्गत पुरस्कार के लिये दावा करना चाहते हैं (केवल चेन्नै/मुंबई/ दिल्ली के विदेशी डाकघर से होने वाले निर्यात के लिए)।	
2	हम घोषणा करते हैं कि हम आईजीएसटी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अपने निर्यात को जीरो रेट रखेंगे।	
3	हम घोषणा करते हैं कि यह माल सीजीएसटी / एसजीएसटी /यूटीजीएसटी /आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है।	

हम घोषणा करते हैं कि इस पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट में दिये गए सभी विवरण हर दृष्टि से सत्य और सही हैं।

(निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)

परीक्षण आदेश और रिपोर्ट

लेट एक्सपोर्ट आर्डर. सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर और तारीख

पार्सल का ब्यौरा													
क्रम सं.	कंसाइनी का ब्यौरा		उत्पाद का ब्यौरा				पार्सल का ब्यौरा			ई-कामर्स का विवरण			
	नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएच	मात्रा		इनवाइस संख्या और तारीख	भार		वेबसाइट का यू आर एल (नाम)	संव्यवहार के भुगतान की आई डी	एस के यू संख्या	पोस्टल ट्रैकिंग संख्या
					इकाई (नग, लीटर, किग्रा,मीटर)	संख्या		सकल	निवल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

<table>
<tr><th colspan="4">सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आकलन योग्य मूल्य</th><th colspan="4">टैक्स इनवाइस या कमर्सियल इनवाइस (जो भी लागू हो) का ब्यौरा</th><th colspan="9">शुल्क/कर का ब्यौरा</th><th colspan="2" rowspan="2">कुल</th></tr>
<tr><th rowspan="3">एफ ओ बी</th><th rowspan="3">मुद्रा</th><th rowspan="3">विनिमय दर</th><th rowspan="3">राशि, भारतीय रूपये में</th><th rowspan="3">एच एस कोड</th><th colspan="2">इन्वाइस का ब्यौरा</th><th rowspan="3">मूल्य</th><th colspan="4">सीमाशुल्क</th><th colspan="5">जी एस टी का ब्यौरा</th></tr>
<tr><th rowspan="2">इनवाइस संख्या और तारीख</th><th rowspan="2">इन्वाइस के मद की क्रम संख्या</th><th colspan="2">निर्यात शुल्क</th><th colspan="2">उपकर</th><th colspan="2">आईजीएसटी (यदि लागू हो)</th><th colspan="2">क्षतिपूर्ति उपकर (यदि लागू हो)</th><th rowspan="2">एलयूटी/ बॉड का ब्यौरा (यदि कोई लागू हो)</th><th rowspan="2">शुल्क</th><th rowspan="2">उपकर</th></tr>
<tr><th>दर</th><th>राशि</th><th>दर</th><th>राशि</th><th>दर</th><th>राशि</th><th>दर</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td></tr>
</table>

फार्म -II

(देखें विनियम 4)

पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट – II (पी बी ई - II)

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

बिल ऑफ एक्सपोर्ट की संख्या और तारीख .	विदेशी डाकघर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई ई सी	राज्य का कोड	जी एस टी आई एन या जो भी लागू हो	ए डी कोड (यदि लागू हो)	कस्टम्स ब्रोकर का ब्यौरा	
								लाइसेन्स संख्या	नाम और पता

	घोषणा	हां/नहीं, यदि लागू हो
1	हम घोषणा करते हैं कि हम मर्कैण्डाइज़ एक्स्पोर्ट्स फ्राम इंडिया स्कीम (MEIS) के अंतर्गत पुरस्कार के लिये दावा करना चाहते हैं (केवल चेन्नै/मुंबई/ दिल्ली के विदेशी डाकघर से होने वाले निर्यात के लिए)।	
2	हम घोषणा करते हैं कि हम आईजीएसटी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अपने निर्यात को जीरो रेट रखेंगे।	
3	हम घोषणा करते हैं कि यह माल सीजीएसटी / एसजीएसटी /यूटीजीएसटी /आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है।	

हम घोषणा करते हैं कि इस पोस्टल बिल आफ एक्सपोर्ट में दिये गए सभी विवरण हर दृष्टि से सत्य और सही हैं।

(निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)

परीक्षण आदेश और रिपोर्ट

लेट एक्सपोर्ट आर्डर. सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर और तारीख

पार्सल का ब्यौरा													
कंसाइनी का ब्यौरा		उत्पाद का ब्यौरा				पार्सल का ब्यौरा			पोस्टल ट्रैकिंग संख्या	सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आकलन योग्य मूल्य			
नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएच	मात्रा		इनवाइस संख्या और तारीख	भार			एफ ओ बी	मुद्रा	विनिमय दर	राशि, भारतीय रूपये में
				इकाई, (नग, लीटर, किग्रा, मीटर)	संख्या		सकल	निवल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14

टैक्स इनवाइस या कमर्सियल इनवाइस (जो भी लागू हो) का ब्यौरा				शुल्क/कर का विवरण										
एच एस कोड	इन्वोइस का ब्यौरा		मूल्य	सीमा शुल्क				जी एस टी का ब्यौरा					कुल	
	इनवाइस संख्या और तारीख	इन्वाइस के मद की क्रम संख्या		निर्यात शुल्क		उपकर		आईजीएसटी (यदि लागू हो)		क्षतिपूर्ति उपकर (यदि लागू हो)		एलयूटी/ बॉड का ब्यौरा (यदि कोई लागू हो)	शुल्क	उपकर
				दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29